संख्या– 969 /38–7–2008

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊ:दिनांक :17 अप्रैल, 2008

विषय: नरेगा के तहत नियुक्त रोजगार सेवकों को नियमित तौर पर मानदेय दिये जाने के संबधं में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कई जनपदों में नरेगा के तहत नियुक्त रोजगार सेवकों को नियमित तौर पर मानदेय नहीं दिया जा रहा है, यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सभी रोजगार सेवकों को माह के प्रथम सप्ताह में ही मानदेय अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय तथा इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित मुख्य विकास अधिकारी की होगी।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त निर्देश का गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या:969 (1)/38–7–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त, मण्डलायुक्त, उ0 प्र0 ।
2– आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0।

आज्ञा से,

(शिव शंकर सिंह)
विशेष सचिव।